

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल खातिर सर्किट कोर्ट रीवा म०प्र० ।

77



1- राजेश सिंह पिता स्व० शेरबहादुर निवासी ग्राम उल्ही क्ला तहसील मगसां जिला रीवा म०प्र० ।

रि-301

2- तेजबली सिंह तनय स्व० बृजभूषण सिंह निवासी ग्राम उल्ही क्ला तहसील मगसां जिला रीवा म०प्र०

आवे० क्र० 2 तेजबली सिंह  
वाराणसी 21-9-17

----- आवेदक गर्ग ।

बनाम

कलर्क ऑफ कोर्ट  
राजस्व मंडल म० प्र० खातिर  
(सर्किट कोर्ट) रीवा

- पिनय बहादुर सिंह ॥ पिता नर्वदा सिंह
- 2- राकेश सिंह ॥
- 3- मणिराज सिंह पिता श्री हीरा सिंह
- 4- राजबली सिंह ॥ पिता बृजराज सिंह
- 5- सुषेन्द्र सिंह ॥
- 6- अशोक सिंह ॥ पिता शिवराज सिंह
- 7- सुपरराज सिंह ॥
- 8- बेबा शिवराज सिंह
- 9- नागेन्द्र सिंह
- 10- दिलराज सिंह ॥ पिता जगन्नाथ सिंह
- 11- कमलेश्वर सिंह ॥
- 12- अशोक सिंह पिता शेरबहादुर सिंह

13- बेबा प्रेममती सिंह पति स्व० शेरबहादुर सिंह

*(Handwritten signature)*

--- सभी निवासी ग्राम उल्ही क्ला तह० मगसां जिला रीवा

--- आ०गर्ग ।

प्र०---


*(Handwritten mark)*

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/क्रिग/श.स. (2017) 3429

जिला- रीवा

पक्षकार का नाम राजेश सिंह / विजय बहादुर

(1)	(2)	(3)
27.12.17	<p>प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2-आवेदक तथा आवेदक अधिवक्ता की पुकार कराई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं। अतः संहिता की धारा 35 (2) के तहत प्रकरण आदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>3- आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे। तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	